

प्रेस विज्ञप्ति

'8.08% PLI GOI SPL SEC 2023 का पुनर्भुगतान'- प्रेस विज्ञप्ति का निर्गम

'8.08% PLI GOI SPL SEC 2023' का पुनर्भुगतान के अंतर्गत शेष बकाया **31, मार्च 2023** के सममूल्य पर पुनर्भुगतान योग्य होगा। उक्त तारीख से उन पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन किसी भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्भुगतान दिन को अवकाश घोषित किए जाने पर पूर्व कार्य दिवस राज्य में अदाकर्ता कार्यालय द्वारा ऋण/ऋणों का पुनर्भुगतान किया जाएगा।

2.क) सरकारी प्रतिभूति विनियम, 2007 के उप-विनियम 24 (2) और 24 (3) के अनुसार सहायक सामान्य खाता बही अथवा ग्राहकों के सहायक सामान्य खाता बही लेखा अथवा स्टॉक प्रमाणपत्र के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूति के पंजीकृत धारक को परिपक्ता आय का भुगतान उनके बैंक खाते के संबंधित विवरणों को समाविष्ट करते हुए भुगतान आदेश (पे ऑर्डर) द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा निधियों की प्राप्ति की सुविधा वाले किसी बैंक में धारक के खाते में जमा करके किया जाएगा। प्रतिभूतियों के संबंध में भुगतान के लिए मूल अभिदाता या ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुवर्ती धारक अपने बैंक खाते से संबंधित विवरण अग्रिम में ही जमा कर दें।

ख) हालांकि, बैंक खाते के संबन्धित विवरण / इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिये निधियों की रसीद की अनुपस्थिति में, देय तारीख पर ऋण के पुनर्भुगतान को सुगम करने के लिए पुनर्भुगतान हेतु लोक ऋण कार्यालय/ट्रेजरी/उप-ट्रेजरी और भारतीय स्टेट बैंक (जिस पर ब्याज के भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत है) की शाखाओं पर विधिवत अवमुक्त करने का प्रस्ताव कर सकता है।

3. उन्मोचन मूल्य प्राप्ति की प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण पूर्वोक्त अदाकर्ता कार्यालयों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली-110001
दिनांक: 28 मार्च 2023